



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16012021-224471
CG-DL-W-16012021-224471

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16—जनवरी 22, 2021 (पौष 26, 1942)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16—JANUARY 22, 2021 (PAUSA 26, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 17 दिसंबर 2020

सं. वि.वि.पीएसबीडी.सं.1849/16.01.067/2020-21—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (बी) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतदद्वारा 27 नवंबर, 2020 से निम्नलिखित बैंक को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाने का निर्देश जारी करता है:—

“लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड”

सौरभ सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

शुद्धिपत्र

सं. ए-12/11/8/भ.वि.-ई.सी.जी./2017-चि.—पंजीकरण संख्या डीएल(एन)-04/0007/2003-20 (दिसम्बर 5—दिसम्बर 11, 2020) द्वारा भारत का राजपत्र, साप्ताहिक, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ए-12/11/8/भ.वि.-ई.सी.जी./2017-चि. दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 में निम्नलिखित को पढ़ा/प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(क) पृष्ठ क्रम संख्या 326 में, अनुसूची के कॉलम संख्या (11) में, 'रेडियोग्राफर' शब्द 'वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन' पढ़ा जाएगा।

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

दिनांक 14 दिसम्बर 2020

सं. ए-12/11/21/भेषजज(आयुष)-भ.वि./2018-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम भेषजज (होम्योपैथी) भर्ती विनियम, 2008 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भेषजज (होम्योपैथी) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भेषजज (होम्योपैथी), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- निरर्हता—ऐसा कोई व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि कर्मचारी राज्या बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।
- शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति—जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से विशिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- अवशिष्ट मामले—इन विनियमों के उपबंधों के अधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पदों की तदनुसूची श्रेणी पर लागू समय-समय पर यथासंशोधित कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) विनियम, 1965 में यथाविनिर्दिष्ट अन्य सभी विनियम और शर्तें, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- व्यावृत्ति—इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयुसीमा-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भेषजज (होम्योपैथी)	36*(2019) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन	समूह 'ग', अलिपिकवर्गीय	लेवल-5 (29,200-92,300 रुपये)	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच । (केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय कर्मचारियों के लिए आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिलनीय)

					टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि होगी (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।
--	--	--	--	--	--

सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<p>अनिवार्य अर्हता :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; 2. किसी केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होम्योपैथिक फार्मसी में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। <p>वांछनीय अर्हता :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान। <p>टिप्पणी-1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं।</p> <p>टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में यदि चयन के किसी भी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय होती है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की आशंका है तो अनुभव संबंधी अर्हता(एं) शिथिलनीय हैं।</p>	लागू नहीं	दो वर्ष	<p>सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>टिप्पणी: एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों की वजह से बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएंगी।</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हो; या</p> <p>(ख) कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त हो।</p> <p>(केंद्रीय सरकार के इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति अवधि को शामिल करते हुए प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p>	लागू नहीं

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :— (1) अपर आयुक्त, निदेशालय (चिकित्सा) या चिकित्सा अधीक्षक या उप चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष; (2) निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल —सदस्य; (3) चिकित्सा अधिकारी अधिमानतः संबंधित विशेषज्ञता से (केंद्र या राज्य सरकार से बाह्य नामिति)। —सदस्य	लागू नहीं

अनुराधा प्रसाद
महानिदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 17th December 2020

No. DoR.PSBD.No.1849/16.01.067/2020-21—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs exclusion with effect from November 27, 2020 from the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

“Lakshmi Vilas Bank Ltd”

SAURAV SINHA
Executive DirectorMINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 10th December 2020

CORRIGENDUM

No. A-12/11/8/RR-ECG/2017-Med.-VI.—In the Notification No. A-12/11/8/RR-ECG/2017-Med.-VI dated 19th October 2020, published in the Gazette of India, Weekly, Part III, Section 4 (December 5—December 11, 2020) vide registered number DL(N)-04/0007/2003-20 the following shall be read/substituted:

(a) In the page serial number 326, in column number (11) of schedule, the word “Radiographer” shall be read as “Senior ECG Technician”.

ANURADHA PRASAD
Director General

The 14th December 2020

No. A-12/11/21/Pharm.(AYUSH)-RR/2018-Med.-VI.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Pharmacist (Homoeopathy), Recruitment Regulations, 2008, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist (Homoeopathy) in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Pharmacist (Homoeopathy), Recruitment Regulations, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. Disqualification. - No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Residuary Matters.—Subject to the provisions of these regulations, all other regulations and conditions as specified in the Employees' State Insurance Corporation (Recruitment) Regulations, 1965 as amended from time to time applicable to the corresponding categories of posts in Employees' State Insurance Corporation shall apply to the posts specified in the schedule annexed to these regulations.
7. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist (Homoeopathy).	36* (2019) *Subject to variation dependent on the workload.	Group 'C', Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29,200-92,300)	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (The upper age limit relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential qualification: 1. 12th Class passed with Science stream from a recognized Board and; 2. Diploma or Certificate course in Homeopathic Pharmacy of at least one-year duration from a Central of State Government recognized institution.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:	Not applicable.

<p>Desirable qualification:</p> <p>1. Basic knowledge of computer.</p> <p>Note-1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note-2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of Selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			<p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/ department; or</p> <p>(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p>The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).</p>	
--	--	--	---	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of.—</p> <p>1. Additional Director, Directorate (Medical) or Medical Superintendent or Deputy Medical Superintendent, Employees' State Insurance Corporation Hospital. —Chairman;</p> <p>2. Director or Joint Director or Deputy Director or Assistant Director, Employees' State Insurance Corporation Hospital. —Member;</p> <p>3. Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central or State Government). —Member.</p>	Not applicable.

ANURADHA PRASAD
Director General